UPST010023012026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थितः संध्या चौधरी, उच्चतर न्यायिक सेवा
(प्रभारी सत्र न्यायाधीश)
न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू.पी.6161

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–685 / 2026

फरीद मलिक उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र ख्वाजा बक्श मलिक निवासी राधाकृष्णपुर दबुआपुकार थाना पंसकुरा जिला पूरब मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल

..... प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–50 / 2025
धारा–318(4), 319(2), 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता
व धारा–66सी आई0टी0ऐक्ट,
थाना साइबर क्राइम, जनपद–सुलतानपुर

दिनांकः 25.03.2026

प्रार्थी / अभियुक्त फरीद मलिक की ओर से थाना साइबर क्राइम, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–50 / 2025 अन्तर्गत धारा–318(4), 319(2), 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–66सी आई0टी0ऐक्ट के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में पूर्व में सहअभियुक्त ज़ाकिर खान का ज़मानत प्रार्थना पत्र सं0–435 / 2026, सहअभियुक्त संतोष सुर्वे का ज़मानत प्रार्थना पत्र सं0–439 / 2026 एवं सहअभियुक्त विजय ईश्वर कालान्तरे का ज़मानत प्रार्थना पत्र सं0–462 / 2026 दि0 23.02.2026 को निरस्त किया जा चुका है, सहअभियुक्तगण शमशुद्दीन अहमद व हनीफ काजी का ज़मानत प्रार्थना पत्र सं0–496 / 2026 दि0 26.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा सहअभियुक्त शफीकुल इस्लाम का ज़मानत प्रार्थना पत्र सं0–487 / 2026 दि0 05.03.2026 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) का तर्क सुना तथा सम्यक रूप से उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी भास्कर पाण्डेय द्वारा दि0 14.10.2025 को सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि वह फेसबुक पर शेयर मार्केट में प्रॉफिट देने वाली कम्पनी का प्रचार देखा तो उसके बाद

ASHIKA Growing and sharing with you के whatsapp group P-59 Ashika-Wealth Builders Network से जुड़ गया। अज्ञात व्यक्ति कूटरचित दस्तावेजों के बल पर वादी को झांसे में लेकर दि0 25.04.2025 से दि0 26.05.2025 तक शेयर मार्केट, आई0पी0ओ0 में ज्यादा लाभ का विश्वास दिलाकर वादी से कुल 10,11,689.75 भिन्न–भिन्न खातों में यू0पी0आई0, मोबाइल बैंकिंग, आर0टी0जी0एस0 से भिन्न–भिन्न तिथियों में ट्रांसफर करा लिये। वादी ने जब प्रॉफिट की राशि दिलाने को कहा तो उपरोक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा और रूपये की मांग की जाती रही। वादी को शक हुआ तो उसने पता किया तो यह ज्ञात हुआ कि यह कम्पनी original company को copy करके बनाया गया है और वादी को विश्वास में लेकर विश्वासघात, छल तथा साइबर फ्रॉड किया गया है। वादी ने तत्काल 1930 नम्बर पर शिकायत की।

यह प्राथमिकी whatsapp group P-59 Ashika Wealth Builders Network से जुड़े अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है तथा प्रार्थी का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित प्राथमिकी में घटना का स्पेसिफिक दिनांक व समय नहीं दर्शाया गया है तथा प्राथमिकी विलम्ब से कानूनी राय मशविरे से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के खाते से किसी भी प्रकार का कोई लेन–देन नहीं हुआ है। प्रार्थी कारपेण्टर का काम करता है, जो अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद 24 घण्टे के अंदर कानूनी तौर पर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए तथा दूसरे प्रदेश के अभियुक्त होने की स्थिति में ट्रान्ज़िट रिमाण्ड लेकर गिरफ्तारी की जानी चाहिए, किन्तु पुलिस द्वारा कानून की मंशा के अनुसार कार्यवाही न करते हुए मुकदमे में रिमाण्ड श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी नामजद अभियुक्त नहीं है, दौरान विवेचना सहअभियुक्तों के बयान से प्रार्थी का नाम प्रकाश में आया है। प्राथमिकी में किसी भी स्वतंत्र साक्षी का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थी के नाम खाता को विवेचना के दौरान किसी भी लेयर में नहीं पाया गया है तथा न ही वादी मुकदमा के खातों से यू0टी0आर0 का ही मिलान हो पाया है, मात्र मुकदमे को तरतीब देने की गरज से झूठा व फर्जी मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, परन्तु दौरान विवेचना वर्तमान अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त की सक्रिय भागीदारी पाते हुए उसका नाम विवेचनाधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक ऐसे साइबर ठगी के अन्तर्राज्यीय गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जिसके द्वारा धोखाधड़ी व बेईमानीपूर्ण ढंग से कूटरचना करके एक वास्तविक कम्पनी का क्लोन बनाकर आम जनता को शेयर मार्केट में लाभ दिलाने के नाम पर उनसे काफी

बड़ी मात्रा में रूपये प्राप्त किये गये, जिसमें से एक वादी मुकदमा भी है। सहअभियुक्तगण ज़ाकिर खान, संतोष सुर्वे, विजय ईश्वर कालान्तरे, हनीफ काजी, शमशुद्दीन अहमद एवं शफीकुल इस्लाम के ज़मानत प्रार्थना पत्र पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है।

निम्नांकित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

2. प्रस्तुत प्रकरण की घटना एक ऐसे साइबर फ्रॉड से सम्बन्धित है, जिसमें भारत के कई राज्यों के व्यक्ति संलिप्त हैं।

3. केस डायरी के पर्चा नं0–2 में दर्ज वादी के बयान से यह स्पष्ट है कि वादी भास्कर पाण्डेय द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसने फेसबुक पर शेयर मार्केट में प्रॉफिट देने वाली कम्पनी का प्रचार देखकर ऑनलाइन ट्रेडिंग की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपना आवश्यक विवरण देते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा, जिस पर उसके मोबाइल नंबर 9453768029 पर व्हाट्स ऐप कॉल श्रुति असाति के द्वारा किया गया, जिसने वादी को ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात् वादी ASHIKA Growing and sharing with you के whatsapp group P-59 Ashika-Wealth Builders Network से जुड़ गया। इस ग्रुप के प्रोपराइटर दौलत जैन द्वारा व्हाट्स ऐप मैसेज करके वादी को यह बताया गया कि उनकी कम्पनी सेबी से अधिकृत है और वादी शेयर मार्केट व स्टॉक मार्केट में इनके माध्यम से पैसा लगाकर कम समय में ढेर सारा पैसा कमा सकता है। वादी ने विश्वास करके अज्ञात द्वारा दी गयी यू0पी0आई0 आई0डी0 पर अपने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता सं0 30064931953 से सर्वप्रथम दि0 25.04.2025 को 10,000/–रू0 दो बार, दि0 01.05.2025 को 20,000/–रू0, दि0 12.05.2025 को 50,000/–रू0, दि0 13.05.2025 को 40,000/–रू0, दि0 14.05.2025 को 60,000/–रू0, दि0 15.05.2025 को 90,000/–रू0, दि0 16.05.2025 को 2,39,000/–रू0 योनो ऐप के माध्यम से आई0एम0पी0एस0 के माध्यम से अज्ञात द्वारा दिये गये खाता नंबर पर भेजे। उसके कुछ दिन बाद अज्ञात नंबर से फोन आया कि अगर वादी जी0एस0टी0 के रूप में 4,92,000.07/–रू0 देगा तो वह अपने सारे शेयर बेचकर मुनाफा सहित पैसा वापस ले सकता है। वादी ने 4,92,000.07/–रू0 अज्ञात द्वारा दिये गये खाते में भेज दिया। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चार विभिन्न मोबाइल नंबरों से कॉल व चैट से वादी से संपर्क किया गया और वादी को आई0पी0ओ0 में ज़्यादा लाभ का विश्वास दिलाकर कुल 10,11,689.75/–रू0 भिन्न–भिन्न खातों में यू0पी0आई0, मोबाइल बैंकिंग, आर0टी0जी0एस0 से भिन्न–भिन्न तिथियों में ट्रान्सफर करा लिया गया। जब वादी ने प्रॉफिट की राशि दिलाने के लिए कहा तो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा और रूपयों की मांग की जाने लगी। शक होने पर जब वादी ने पता लगाया तो पता चला कि यह कम्पनी Original Company को कॉपी करके बनायी गयी है और उसके साथ विश्वासघात, छल

तथा साइबर फ्रॉड किया गया है।

4. केस डायरी के पर्चा सं0 2 में दर्ज वादी मुकदमा के बयान से यह भी स्पष्ट है कि वादी ने विवेचनाधिकारी को दिये अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया है कि इसी प्रकार की ठगी, अमेठी के रहने वाले अभिषेक सिंह से 85,00,000/–रू0 की और लखनऊ में एक व्यक्ति से लगभग 1 करोड़ 85 लाख रूपये की, की गयी है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् पुलिस द्वारा जब विवेचना प्रारम्भ की गयी तो अमेठी में साइबर फ्रॉड के शिकार हुए अभिषेक सिंह और लखनऊ में साइबर फ्रॉड के शिकार हुए अवनीश सिंह से पूछताछ की गयी। अभिषेक सिंह एवं अवनीश सिंह द्वारा ASHIKA STOCK BROKING LTD., श्रुति असाति व दौलत जैन का नाम लिया गया और स्वयं के साथ क्रमशः 85,57,000/–रू0 एवं 1,85,15,673/–रू0 की ठगी होने का कथन किया गया। अभिषेक सिंह द्वारा जनपद अमेठी में मु0अ0सं0–02/2025 एवं अवनीश सिंह द्वारा जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0–78/2025 श्रुति असाति, मुरलीधर बारेथ व दौलत जैन एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज कराया गया। अभिषेक सिंह व अवनीश सिंह ने अपने–अपने बयान में यह स्पष्ट कथन किया है कि L-6 Ashika Credit Capital Ltd. के नाम से एक व्हाट्सऐप प्रीमियम मेम्बर ग्रुप बनाया गया, जिसमें 161 मेम्बर्स थे। इस ग्रुप पर प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी दी जाती थी। व्हाट्सऐप नंबर 8769182477 से श्रुति असाति नामक महिला, जिसे असिस्टेन्ट कहते थे, दिशानिर्देश देती थी, जबकि दौलत जैन, जिसे टीचर कहा जाता था, व्हाट्स ऐप नंबर 9151385485 से स्टॉक मार्केट, ब्लॉक ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देता था। इसी बीच उसी व्हाट्स ऐप ग्रुप में से एक मेम्बर मुरलीधर बारेथ ने मोबाइल नंबर 8306420153 से अभिषेक सिंह व अवनीश सिंह से संपर्क किया और विश्वास दिलाया कि वह इस ग्रुप से विगत 08 माह से जुड़ा हुआ है और निवेश कर भारी मात्रा में लाभ अर्जित किया है।

6. केस डायरी के साथ संलग्न वादी भास्कर पाण्डेय के एस0बी0आई0 के खाता सं0–30064931953 के विवरण के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा दि0 25.04.2025 को दो अलग–अलग समय पर 10,000–10,000/–रू0 क्रमशः प्रतीक कुबेवत व सीताराम को यू0पी0आई0 के माध्यम से, दि0 01.05.2025 को 20,000/–रू0 राज शॉ को यू0पी0आई0 के माध्यम से, दि0 12.05.2025 को 50,000/–रू0 इमरान खान को यू0पी0आई0 के माध्यम से, दि0 13.05.2025 को 40,000/–रू0 आकाश भारती को यू0पी0आई0 के माध्यम से, दि0 14.05.2025 को 60,000/–रू0 सुनील को यू0पी0आई0 के माध्यम से, दि0 15.05.2025 को 90,000/–रू0 आकाश को यू0पी0आई0 के माध्यम से, दि0 16.05.2025 को 2,39,000/–रू0 एवं दि0 26.05.2025 को 4,92,689.07/–रू0 भेजा गया। मेसर्स हनीफ एग्रो ट्रेडर्स रहमान नगर, कनकलता पथ, गुवाहाटी, असम के यस बैंक लिमिटेड के खाता सं0–006561900005782 के विवरण से यह स्पष्ट है कि दि0 26.05.2025 को वादी भास्कर पाण्डेय द्वारा जो 4,92,665/–रू0 भेजा गया था, वह हनीफ एग्रो ट्रेडर्स के खाते में पहुँचा था।

7. विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा हनीफ काज़ी को असम के गुवाहाटी पश्चिम जिले के गोरचुक थाने के लोकहरा से दि0 28.01.2026 को गिरफ्तार किया गया, जिसने सुन्दरवन नगर में अपने किराये के मकान से इस मुकदमे से सम्बन्धित साक्ष्य देने का कथन किया। सुन्दरवन नगर के किराये के मकान में हनीफ काज़ी का साथी शमसुद्दीन मिला। हनीफ काज़ी और शमसुद्दीन की मौजूदगी में स्वतंत्र साक्षीगण के समक्ष मकान की तलाशी दि0 30.01.2026 को 2:45 ए0एम0 पर ली गयी, जिसमें कई बैंकों की पासबुक और चेक के अतिरिक्त खाता सं0–006561900007582 का लॉग–इन आई0डी0 व पासवर्ड भी प्राप्त हुआ। हनीफ काज़ी एवं शमसुद्दीन दोनो ने गिरफ्तारी होने के पश्चात् विवेचनाधिकारी को यह बयान दिया कि उनसे शफीकुल इस्लाम ने कहा कि अगर कोई करण्ट एकाउण्ट खुलवाकर दोगे तो उसमें फ्रॉड का पैसा आयेगा और उसमें उन्हें भी हिस्सा मिलेगा, जिस पर उन्होने हनीफ एग्रो ट्रेडर्स के नाम से भांगागढ़ में यस बैंक में खाता सं0–006561900007582 खुलवाया और खाता खुलवाकर वह खाता शफीकुल इस्लाम को दे दिया। दोनो ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें यह पता था कि व्हाट्स ऐप ग्रुप आशिका वेल्थ बिल्डर्स नेटवर्क के नाम से फर्जी कम्पनी है, जिसमें फ्रॉड का पैसा लोगों से ठगा जाता है। दोनो ने लालच में आकर खाता खुलवाने और इसे शफीकुल इस्लाम को देने की गलती स्वीकार की। दि0 31.01.2026 को थाना बारपेटा से शफीकुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया, जिसने यह स्वीकार किया कि उसने ही हनीफ काज़ी व शमसुद्दीन का यस बैंक में हनीफ एग्रो ट्रेडर्स के नाम से खाता सं0–006561900007582 खुलवाकर अपने पास खाते के समस्त कागजात एवं सिम लेकर आगे ज़ाकिर खान नामक लड़के को दिया था।

8. दि0 01.02.2026 को शफीकुल इस्लाम के बताने पर बारपेटा थाने के हाउली चौराहे पर ज़ाकिर खान को गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा यह कथन किया गया कि उसे मूसा, रफीकुल इस्लाम और कुरान अली ने कहा था कि अगर कोई करण्ट अकाउण्ट खुलवाकर दोगे तो उसमें फ्रॉड का पैसा आयेगा, जिसमें तुम्हें व शफीकुल इस्लाम को भी हिस्सा मिलेगा। शफीकुल इस्लाम ने उसे हनीफ एग्रो ट्रेडर्स के नाम से यस बैंक का खाता सं0–006561900005782 दिया और खाते के अलावा इसका सिम भी दिया। उसने उस खाते के समस्त कागजात व सिम मूसा, रफीकुल इस्लाम और कुरान अली को दे दिया। शफीकुल इस्लाम व ज़ाकिर खान दोनो ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें यह पता था कि व्हाट्स ऐप पर आशिका वेल्थ बिल्डर्स नेटवर्क के नाम से फर्जी कम्पनी है, जिसमें फ्रॉड का पैसा लोगों से ठगा जाता है।

9. अमेठी में साइबर ठगी के पीड़ित अभिषेक सिंह और लखनऊ में साइबर ठगी के पीड़ित अवनीश सिंह के बयान के पश्चात् विवेचना के दौरान यह पता चला कि एक व्यक्ति फरीद मलिक (प्रार्थी/अभियुक्त) के खाता सं0–20100038167745, जो कि बंधन बैंक का है, में अभिषेक सिंह के खाते से दो लाख रूपये तथा अवनीश सिंह के खाते से चालीस लाख रूपये आना पाया जा रहा है। दि0 03.02.2026 को फरीद मलिक (प्रार्थी/अभियुक्त) को घंसौली स्टेशन के बाहर चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया,

जिसने यह बताया कि यहां से एक व्यक्ति, जिसका नाम विजय कालान्तरे है, ने उसके बैंक खाते की चेकबुक, ए0टी0एम0 व सिम ले ली है, वही लेने आया है। उसने यह भी बताया कि उसके बैंक का चेकबुक, ए0टी0एम0 व सिम विजय कालान्तरे ने ले लिया था और उससे यह कहा था कि तुम्हारे खाते में जो भी पैसा आयेगा, उसमें तुम्हें भी पैसा मिलेगा। उसने पैसे के लालच में अपने बैंक खाते की किट विजय कालान्तरे को दे दिया। उसके खाते में इन लोगों ने 1 करोड़ 12 लाख रूपया डलवाया था। विजय कालान्तरे ने उसे संतोष सुर्वे से मिलवाया था। ये लोग बैंक खाता लेकर उसमें फ्रॉड का पैसा मंगाते हैं। फरीद मलिक (प्रार्थी/अभियुक्त) की निशानदेही पर विजय कालान्तरे को गिरफ्तार किया गया और फिर विजय कालान्तरे की निशानदेही पर शान्तिनगर के भिवण्डी इलाके से संतोष सुर्वे को गिरफ्तार किया गया।

10. केस डायरी के पर्चा नं0–15 में यह उल्लिखित है कि विजय कालान्तरे के खाता सं0–259920606070, जो कि इण्डसइण्ड बैंक का है, की जांच में यह पाया गया कि उक्त खाते के विरूद्ध पूरे भारतवर्ष में 240 शिकायतें दर्ज हैं। केस डायरी के पर्चा नं0 15 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हनीफ एग्रो ट्रेडर्स, जिसके प्रोपराइटर हनीफ काज़ी व शमसुद्दीन हैं, के खाता सं0–006561900005782 में वादी मुकदमा भास्कर पाण्डेय का 4,92,665/–रू0 पहुँचा है एवं फरीद मलिक (प्रार्थी/अभियुक्त) के बंधन बैंक के करण्ट अकाउण्ट सं0–20100038167745 एम0एस0 मलिक ऑटो सेण्टर में मु0अ0सं0–02/2025 थाना साइबर क्राइम जनपद अमेठी का नौ लाख रूपये पहुँचा है तथा इसी खाते में मु0अ0सं0–78/2025 थाना साइबर क्राइम पुलिस लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट का चालीस लाख रूपये पहुँचा है।

11. विवेचना के दौरान संग्रहित साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आम जनता को शेयर ट्रेडिंग से अत्यधिक लाभ का लालच देकर फर्जी ट्रेडिंग कम्पनी खुलवाकर और झूठे दस्तावेजों के आधार पर आम जनता से बड़े पैमाने पर ठगी करने का एक अन्तर्राज्यीय गिरोह सक्रिय है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका है।

12. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त मु0अ0सं0–50/2025, जिसका वादी भास्कर पाण्डेय है, से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नहीं है। वादी मुकदमा का कोई पैसा प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में नहीं पहुंचा है और न ही वादी मुकदमा के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य है कि वह साइबर ठगी में सीधे तौर पर संलिप्त रहा है और उसे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता के उपर्युक्त तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में वादी भास्कर पाण्डेय द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, उसका मजमून और उसमें वर्णित कम्पनी आशिका ट्रेडिंग कम्पनी न केवल अन्य दोनो मुकदमों में वर्णित मजमून व वर्णित कम्पनी के समान है, बल्कि दोनो व्यक्तियों श्रुति असाति व दौलत जैन का नाम भी समान है तथा ठगी करने का तरीका भी समान है। ऐसी स्थिति में तीनों प्रकरण एक–दूसरे से सम्बन्धित हैं। अभी विवेचना प्रचलित है और इस साइबर ठगी की विभिन्न कड़ियों का रहस्योद्घाटन होना शेष है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना नहीं पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त फरीद मलिक की ओर से थाना साइबर क्राइम, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–50/2025 अन्तर्गत धारा–318(4), 319(2), 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–66सी आई0टी0ऐक्ट के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 25.03.2026

(संध्या चौधरी)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code UP 6161

आशुलिपिक– मधुलिका सिंह